न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
49 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	01.08.2019	30.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1–श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ज्ञानचन्द अनिल कुमार ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स ज्ञानचन्द अनिल कुमार ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
3–श्री ब्रजबिहारी रैला पार्टनर मैसर्स जी.एस. रैला एण्ड कम्पनी 151 किशनपोल बाजार जयपुर राज.
4– मैसर्स जी.एस. रैला एण्ड कम्पनी 151 किशनपोल बाजार जयपुर राज.
5–श्री रमेश चन्द्र रैला निवासी ए–64 बी, रैला भवन, जनता कॉलोनी जयपुर प्रोपरायटर सुरेश चन्द रमेश चन्द रैला बी–11, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज.
6– मैसर्स सुरेश चन्द रमेश चन्द रैला बी–11, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज.
7–श्री कृष्ण गोयल डायरेक्टर मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा
8–श्री विजय कुमार मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा
9–श्री विनोद कुमार मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा
10–मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा ...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री दीपक शर्मा अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7 ता. 10 उपस्थित

दिनांक 30.12.2021

:–निर्णय–:

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2019 को समय 3.47 [illegible] मैसर्स ज्ञानचन्द अनिल कुमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

...क स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ज्ञानचन्द अनिल कुमार ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) जिसके बैच नम्बर 150918 व पैकिंग दिंनाक 09/2018 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री ज्ञानचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता ज्ञानचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 25 किलोग्राम सील पैक प्लास्टिक के कट्टे मे **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) रखे हुये मे से 4.00 किलोग्राम का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री ज्ञानचन्द जैन को रू0 288/–अक्षरे दौ सौ अठ्यासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) खरीदशुद्वा 4.00 किलोग्राम को 1–1 किलोग्राम के नगो को बराबर–बराबर (एक भाग 1 किलोग्राम) अलग–अलग पोलीथीन मे भरकर अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयरटाईट बंद कर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I–2104 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2104 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. ज्ञानचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री ज्ञानचन्द जैन ने मौके पर **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Br[illegible] बतौर वारंटी बिल मैसर्स जी.एस. रैला एण्ड कम्पनी 151 किशनपोल [illegible] खरीद/वारन्टी बिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संख्या/इन्वोईस नं0 24749 दिनांक 12.02.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स जी.एस. रैला एण्ड कम्पनी 151 किशनपोल बाजार जयपुर राज.से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स सुरेश चन्द रमेश चन्द रैला बी–11, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वोईस नं0 4121 दिनांक 19.01.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स सुरेश चन्द रमेश चन्द रैला बी–11, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा काखरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वोंइस नं0 एम.एस 4385 दिनांक 29.09.2018 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/693 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/421/एक्ट/2019/234 दिनांक 06.03.2019 अनुसार ज्ञानचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1,2,5,6,7 ता. 10 व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चावल अलनाज सैला ब्राण्ड** (Rice Alnaaz Sella Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है। ऐसा कृत्य खाद्य सुरक्षा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स ज्ञानचन्द अनिल कुमार ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री ब्रजबिहारी रैला पार्टनर मैसर्स जी.एस. रैला एण्ड कम्पनी 151 किशनपोल बाजार जयपुर राज. पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री रमेश चन्द्र रैला निवासी ए–64 बी, रैला भवन, जनता कॉलोनी जयपुर प्रोपरायटर सुरेश चन्द रमेश चन्द रैला बी–11, सूरजपोल अनाज मण्डी जयपुर राज. पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री कृष्ण गोयल डायरेक्टर मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री विजय कुमार मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री विनोद कुमार मैसर्स गोईल इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड सोंकरा रोड, तरावरी जिला करनाल हरियाणा पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

30.12.21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:55:09 IST
Reason: SelfAttested